न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 103/2025 बउनवानी प्रदीप कुमार बनाम उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी निवासी ग्राम मीना बडोदा तहसील वजीरपुर

GCMS No-2025/ 234

Appeal Number- 321607936559822

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
3.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 28.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" ***वोटर आईडी (EPIC) चाहने बाबत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 25.4.2025 पर की गयी कार्यवाही सहित के संबंध में प्रमाणित सूचना*** "उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिट को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: आरटीआई/2023/75 दिनांक 29.8.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना (ईपिक कार्ड बनाने के संबंध मे की गयी कार्यवाही की जानकारी) के परिप्रेक्ष्य मे अपीलान्ट को उसका ईपिक कार्ड बनवाया जाकर भिजवाया जा चुका है जो अपीलान्ट को प्राप्त हो चुका है एवं अपीलान्ट उक्त अपील मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहता है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना (ईपिक कार्ड) अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जा चुका है तथा उक्त कार्यवाही से अपीलान्ट संतुष्ट है एवं उक्त प्रकरण मे आगे ओर कोई कार्यवाही नही चाहता है। चूंकि चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:38:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner